



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आर.बी.आई. 2010-11/88

डीजीबीए.जीएडी.सं एच.02/31.05.001/2010-11

01 जुलाई 2010

समस्त एजेंसी बैंक

प्रिय महोदय,

मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक अनुदेश जारी कर रहा है। वे अनुदेश दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र आर.बी.आई.2009-10/61 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.03/31.05.001/2009-10) द्वारा सूचित किए गए थे। अब हम, उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2010 तक जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मास्टर परिपत्र इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। आप इस परिपत्र को हमारी वेबसाइट www.mastercirculars.rbi.org.in पर भी देख सकते हैं।

2. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय,

(बी के मिश्रा)

महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त ।

यह विभाग आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित है ।

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भायखला ऑफिस बिल्डिंग, 4 थी मंज़िल, मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई-400 008

Department of Government & Bank Accounts, Central Office, Opp. Mumbai Central Railway Station. Byculla, Mumbai – 400 008.

This Department is ISO 9001-2000 certified

Telephone : (022)2308 4121, Fax No. (022) 2300 0370/2301 6072/2301 0095, e-mail : cgmicdgbaco@rbi.org.in

मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी पेंशनरों को विविध पेंशन भुगतान योजनाओं के अंतर्गत पेंशन का भुगतान

प्रस्तावना

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान महा लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई संबद्ध योजनाओं द्वारा संचालित होता है और सरकारों द्वारा जब भी कभी महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है तो उसका एवं अन्य लाभों का भुगतान इसमें शामिल होता है। इस संबंध में जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का सार सूचना के लिए यहाँ दिया जा रहा है।

1. राज्य सरकार के पेंशनरों को दी जानेवाली महंगाई राहत इत्यादि संबंधी

सरकारी आदेशों को राज्य सरकारों की वेब साइटों पर डालना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.416/45.01.003/ 2002-03 दिनांक 21 मार्च 2003 और डीजीबीए.जीएडी.सं.770/ 45.01.003/2003-04 दिनांक 25 फरवरी 2004)

महंगाई राहत आदेशों के जारी होने और हिताधिकारी को महंगाई राहत का भुगतान किए जाने के बीच के अंतराल को समाप्त करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन भुगतान करने वाले एजेंसी बैंक, राज्य मुख्यालयों में प्राधिकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों और/अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों को सरकार द्वारा भेजे गए आदेशों का पालन करें।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिपत्रों को राज्य सरकारों की सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाए।

सभी राज्य सरकारों को महंगाई राहत से संबंधित सरकारी आदेश भारतीय रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और हार्ड कॉपी में भी भेजने का विकल्प दिया गया है ताकि रिजर्व बैंक उसे अपनी वेबसाइट पर डाल सके।

2. केंद्र सरकार के पेंशनरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय - महंगाई राहत इत्यादि के संबंध में सरकारी आदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भेजना बंद करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-506/45.01.001/ 2002-03 दिनांक 12 अप्रैल 2003)

महंगाई राहत इत्यादि संबंधी आदेशों के जारी होने एवं हिताधिकारियों को वास्तविक रूप से भुगतान होने के बीच के अंतराल को समाप्त करने और वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- I- वित्त मंत्रालय से जैसे ही संशोधित दर पर महंगाई राहत की मंजूरी प्राप्त होती है, पेंशनरों को संशोधित दरों पर महंगाई राहत के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे आदेशों की प्रतियां तुरंत ई-मेल और फैक्स द्वारा सभी एजेंसी बैंकों के अध्यक्षों को इन अनुदेशों के साथ भेज दी जाती हैं कि वे महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
- II- उक्त आदेश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट (<http://www.persmin.nic.in>) पर डाले जाते हैं।
- III- आदेशों की प्रतियां डाक द्वारा सभी एजेंसी बैंकों के अध्यक्षों को भी भेजी जाती हैं और भारतीय बैंक संघ उन्हें प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अब महंगाई राहत के संबंध में सरकारी आदेश एजेंसी बैंकों को नहीं भेजेगा।

**3. फॉर्म "ए" और "बी" में नामांकन स्वीकार करना - केंद्रीय सिविल पेंशन
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.94/45.05.031/2004-05 दिनांक 24 अगस्त 2004)**

पेंशनरों और उनके वारिसों को होने वाली असुविधा का निवारण करने की दृष्टि से, सरकार ने यह सूचित किया है कि समस्त पेंशन प्रदाता बैंक शाखाएं वारिसों को पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत फार्म "ए" अथवा "बी" में जैसा भी मामला हो, नामांकन प्राप्त करें।

**4.केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा-अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए कार्यविधि का कार्यान्वयन
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.612-644/45.01.001/2004-05 दिनांक 7 अक्टूबर, 2004)**

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा-अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के लिए लेखा कार्यविधि अपनाने हेतु एजेंसी बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया गया है

- (i) अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों के पी पी ओ नंबर में, केंद्रीय सिविल पेंशनर के लिए प्रयुक्त 12 अंकीय संख्या घटक के अलावा, पेंशनर की सेवा तथा संबंधित राज्य संवर्ग दर्शाने वाला एक उपसर्ग शामिल होगा। पंजाब संवर्ग के एक आई एएस अधिकारी के लिए एक नमूना पी पी ओ नंबर इस प्रकार होगा - आई ए एस/पी बी/438840 400191।
- (ii) अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों को केवल प्राधिकृत बैंकों अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों और चार प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों जैसे - आई डीबीआई बैंक लिमिटेड, यूटीआई बैंक लिमिटेड, आई सीआई सीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ही पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।
(टिप्पणी: चूंकि आईडीबीआई बैंक को एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं यूटीआई बैंक का नाम बदल कर एक्सिस बैंक कर दिया गया है।)
- (iii) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) द्वारा जारी विशेष सील प्राधिकार (एस एस ए) केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए जारी प्राधिकारों से उन्हें अलग दर्शाने हेतु नीले रंग में होंगे। इसके अलावा, प्राधिकार में उस राज्य सरकार का नाम दर्शाया जाएगा जिसके खाते में भुगतान नामे डाला जाना है।
- (iv) एस एस ए की एक प्रति संबंधित महा लेखाकार को उसकी सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाएगी।
- (v) बैंक की संबंधित प्रदाता शाखाएं पेंशनर की पहचान के लिए आवश्यक कार्यविधि अपनाने के बाद भुगतान करेगी और रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक जैसा भी मामला हो, की प्रतिपूरक शाखाओं को प्रतिपूर्ति के लिए उनके माध्यम से भुगतान करने हेतु राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए तैयार किए गए स्क्रोलमें अखिल भारतीय सेवा पेंशनर का नाम शामिल करेगी। केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन की प्रतिपूर्ति की सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत ऐसे स्क्रोल प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्हें केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) में नहीं भेजा जाना चाहिए।
- (vi) प्रतिपूरक शाखाएं राज्य सरकार के पेंशनरों की कार्यविधि अपनाएंगी और रिजर्व बैंक, सी ए एस, नागपुर तथा संबंधित महा लेखाकार के तदनुसारी स्क्रोल को सूचना भेजेगी।
- (vii) भारतीय रिजर्व बैंक, सी ए एस, नागपुर निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के खाते में नामे डालेगा।

**5. रक्षा पेंशनरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन - भुगतान की योजना - पेंशन भुगतान स्क्रोल प्रस्तुत करने में देरी और जाली तथा कपटपूर्ण भुगतान टालने के उपाय
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.867-899/45.02.001/ 2004-05 दिनांक 18 अक्टूबर 2004)**

यह देखा गया है कि पेंशन प्रदाता बैंक पेंशन प्राधिकारियों को दो से तीन महीने के बाद पेंशन-भुगतान स्क्रोल प्रस्तुत करते हैं। ये स्क्रोल प्रायः "बंच" में होते हैं। इस संबंध में "रक्षा पेंशनरों को पेंशन के भुगतान की योजना" पुस्तिका के पैराग्राफ

9(6),10 और 11 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें प्रदाता शाखाओं, लिंक शाखाओं और प्रतिपूरक शाखाओं द्वारा पेंशन भुगतान स्क्रोल के प्रेषण की कार्यविधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। संपूर्ण कार्यविधि तयशुदा समय-सीमा के अनुसार पूरी की जानी चाहिए ताकि भुगतान स्क्रोल अंतिम रूप से संबंधित महीने के बाद आने वाले महीने की 15 वीं तारीख तक प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पी सी डी ए) (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त हो जाए (मार्च महीने के स्क्रोल को छोड़कर, जो अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) के कार्यालय ने यह भी देखा है कि पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा कुछ मामलों में निर्धारित जांच-पड़ताल किए बिना जाली तथा कपटपूर्ण पी पी ओ पर धोखेबाजों को उपदान और संराशीकरण (कॉम्प्युटेशन) की राशि अदा कर दी गई थी। यह भी देखा गया है कि पेंशन के प्रथम भुगतान के मामलों में, स्क्रोल पर या तो पी पी ओ नंबरों का उल्लेख नहीं किया गया था अथवा गलत पी पी ओ नंबर लिखे गए थे जिससे भुगतान की यथातथ्यता का सत्यापन करना कठिन हो गया था। इसके अलावा, इन भुगतानों को मुख्य पेंशन भुगतान स्क्रोलों में रक्षा पेंशनरों के नियमित मासिक भुगतानों के साथ दिखाया जा रहा था।

पेंशन प्रदाता शाखाओं/लिंक शाखाओं/प्रतिपूरक शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यक्षम प्रणाली अपनाएं।

- (i) पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा निर्धारित समय के भीतर (अनुवर्ती महीने की दसवीं तारीख तक) लिंक शाखाओं को पेंशन भुगतान स्क्रोल प्रस्तुत किया जाना। स्क्रोलों की बंचिंग नहीं की जानी चाहिए।
- (ii) लिंक शाखाओं द्वारा प्रति माह की 11वीं तारीख तक वितरक बैंकों (भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक आदि, जैसा भी मामला हो) को सारांश सूची और सारांश दस्तावेजों के साथ स्क्रोल की मूल प्रति भेजा जाना।
- (iii) प्रतिपूर्ति करने वाले बैंकों द्वारा, सरकारी खाते में नामे डाल कर पेंशन प्रदाता बैंक को राशि की प्रतिपूर्ति करने के बाद स्क्रोलों की मूल प्रति सीधे रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद भेजी जानी चाहिए ताकि वह अनुवर्ती महीने की 15 वीं तारीख तक प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) के पास पहुँच जाए। मार्च महीने के स्क्रोलों के लिए यह तारीख लागू नहीं है।
- (iv) पेंशन के प्रथम भुगतानों के मामलों में, पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा सावधानीपूर्वक स्क्रोल तैयार किए जाने चाहिए जिनमें प्रत्येक पेंशनर के नाम के सामने सही पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) नंबर, उपदान और संराशीकरण की राशि का उल्लेख हो। वे नियमित मासिक भुगतान मामलों के अलावा अलग से मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएं। नियमित मासिक भुगतान मामले अलग सारांश शीट के साथ अलग से तैयार किए जाते रहेंगे।
- (v) पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा प्रथम पेंशन भुगतान मामले के अलावा नियमित मासिक पेंशन भुगतान मामलों के लिए अलग सारांश शीट तैयार की जानी चाहिए।

6. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनरों को पेंशन - भुगतान की योजना - कपटपूर्ण भुगतान टालने हेतु उपाय (सं.आर बी आई /2005/334) (संदर्भ: डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.3389 -3421/45.02.001/ 2004-05) दिनांक 06 जनवरी 2005)

रेल मंत्रालय, भारत सरकार (रेलवे बोर्ड) ने हमें सूचित किया है कि उनके सतर्कता विभाग ने ऐसे धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया है जिनमें सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा जाली पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) के आधार पर अनधिकृत व्यक्तियों को पेंशन/पेंशन की बकाया राशि वितरित कर दी गई थी। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा ऐसे कपटपूर्ण भुगतान निर्धारित जांच बिंदुओं का पालन किए बिना किए गए थे, जैसे ऐसे परिकलन पत्र (केल्कुलेशन शीट) पर भरोसा करके भुगतान कर दिया जाना, जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आदि के हस्ताक्षर नहीं थे एवं विशेष रूप से बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों की प्राप्ति के संबंध में निर्धारित कार्यविधि का पालन भी नहीं किया जाना।

रेलवे पेंशन प्रदाता शाखाओं से अनुरोध है कि वे जाली पेंशन भुगतान आदेशों के आधार पर कपटपूर्ण भुगतान टालने के लिए रेलवे पेंशनरों को पेंशन के संवितरण हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा "सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशन के भुगतान की योजना" में निर्धारित कार्यविधि का सख्ती से पालन करें।

7. केंद्रीय सिविल पेंशन का भुगतान - पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) के दोनों अर्धांशों में महंगाई राहत की प्रविष्टि (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3452-3485/45.01.001/ 2004-05 दिनांक 11 जनवरी 2005)

यह बात हमारे ध्यान में आई है कि कुछ पेंशन प्रदाता बैंक शाखाएं बेसिक दरों में जब भी कभी परिवर्तन होता है, उसके आधार पर बेसिक पेंशन/परिवार पेंशन की राशि को संबंधित पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) के दोनों अर्धांशों में अद्यतन (अपडेट) नहीं करती है।

इस संबंध में, हम "सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना" के पैरा 12.17 और 19.1 नीचे उद्धृत करते हैं :

" जब भी कभी पेंशन और/अथवा पेंशन पर महंगाई राहत की बेसिक दरों में परिवर्तन होता है तो प्रदाता शाखा पेंशनरों के पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) का अर्धांश मंगवाकर उन पर परिवर्तन रिकार्ड करेगी तथा अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तन की प्रभावी तारीख(खें) भी लिखेगी। ऐसा करने के बाद, वे अर्धांश पेंशनरों को लौटा दिए जाएंगे"(पैरा 12.17)

"जब भी कभी पेंशन पर सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राहत मंजूर की जाती है तो इस आशय की एक सूचना कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग) द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक नामित बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को (नाम से) उसके द्वारा दिए गए पते पर भेजी जाएगी। उसके बाद यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित रेडी रेकनर सहित मंजूरी आदेशों की आवश्यकतानुसार संख्या में प्रतियां (संख्या अग्रिम रूप से सूचित की जाए) कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग) से प्राप्त करेंगे और उन्हें तुरंत अपने-अपने प्रधान कार्यालयों को भेजेंगे ताकि वहाँ से उन्हें सीधे प्रदाता शाखाओं को दस दिन के भीतर कार्यान्वयन हेतु भेजा जा सके। प्रत्येक प्रदाता शाखा अपने भुगतान के अंतर्गत केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन पर देय राहत की संशोधित दरें तत्काल निर्धारित करेगी। अलग-अलग पेंशनरों के लिए लागू इन दरों का हिसाब संलग्नक XXII (पृष्ठ 41) में दिए अनुसार लगाया जाएगा तथा इस कारण से पेंशनरों को संशोधित दर पर देय यदि कोई राशि हो तो उसका और अथवा बकाया राशि का भुगतान प्रारंभ करने से पूर्व उसे राहत की प्रभावी तारीख के साथ पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरण के भाग में नोट किया जाएगा और शाखा प्रबंधक अथवा प्रभारी द्वारा साक्ष्यंकित किया जाएगा" (पैरा 19.1)।

बैंकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रावधानों की ओर अपनी पेंशन प्रदाता शाखाओं का ध्यान आकृष्ट करें और उन्हें उक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहे।

8. एजेंसी बैंकों द्वारा रेलवे पेंशन का संवितरण - ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहाँ बैंक अधिक भुगतान कर देते हैं। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.6073/45.05.031/2004-05 दिनांक 30 मई 2005)

रेलवे पेंशनरों के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई से ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की एक सूची प्राप्त हुई है जहाँ बैंक अधि भुगतान कर देते हैं। वह सूची इस अनुरोध के साथ सभी एजेंसी बैंकों को भेजी गई है कि वे उसे अपनी पेंशन प्रदाता शाखाओं के बीच परिचालित करें तथा उन्हें यह अनुदेश दें कि वे रेलवे पेंशन के अधिभुगतान टालने के लिए उचित कार्रवाई करें।

9. पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के लिए रेलवे पेंशनरों के संबंध में नामांकन (फार्म "ए" और "बी") स्वीकार करना (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3611/45.03.002/2005-06 दिनांक 10 अक्टूबर 2005)

पेंशनरों को होने वाली असुविधा को टालने की दृष्टि से, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) द्वारा निर्धारित नामांकन फॉर्म ("ए" और "बी") रेलवे पेंशनरों के लिए भी अपनाने का निर्णय लिया है। एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे वारिस (वारिसों) को पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के लिए, रेलवे पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत फार्म "ए" अथवा "बी" में जैसा भी मामला हो, नामांकन स्वीकार करने हेतु समस्त पेंशन प्रदाता शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

10. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना - रेल मंत्रालय द्वारा सात नए अंचलों के लिए वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारियों की नियुक्ति (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.10746/45.03.001/2005-06 दिनांक 24 जनवरी 2006)

प्राधिकृत बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनरों को संवितरित पेंशन भुगतान के संबंध में पेंशन नामे स्वीकारने/निपटाने के लिए रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2006 से सात नए अंचलों (अर्थात् उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर; पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर) के वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

11. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का वितरण - महंगाई राहत का भुगतान (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच.11303/45.01.003/ 2005-06) दिनांक 06 फरवरी 2006

पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को सरकारी आदेशों की प्रतिलिपियां तुरंत प्राप्त करने की व्यवस्था करने एवं उन्हें पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उनके स्तर पर कार्रवाई करने के लिए भेजने हेतु कहा गया था ताकि पेंशनर्स अनुवर्ती महीने की पेंशन अदायगी में ही सरकार द्वारा घोषित लाभ प्राप्त कर सकें। एजेंसी बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों को इस बात की पूर्ण रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण करना चाहिए कि पात्र पेंशनरों को सरकारी पेंशन का समय पर और सही वितरण हो। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल और रेलवे पेंशनरों के मामलों में, पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को पास बुक के प्रथम पृष्ठ पर फार्म "ए" और "बी" में दिए गए नामांकन के अनुसार नामितियों के नामों का अनुमोदन करना चाहिए और शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशनरों को पेंशन के वितरण की योजनाओं में निर्धारित क्रियाविधि का ईमानदारी से पालन करें। पेंशन भुगतान संबंधी योजनाओं/नियमों के बारे में कर्मचारियों को बेहतर जानकारी देने के लिए बैंक अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन्हें अभिन्न अंग के रूप में शामिल करें।

12. प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा उसके पति/उसकी पत्नी के साथ रखे गये संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.12736/45.03.001/2005-06 दिनांक 24 फरवरी 2006)

दिनांक 13 अक्टूबर 2005 के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के परिपत्र सं.आर बी ए.63/2005(2005/ए सी 11/21/19) के अनुसार केंद्रीय सिविल पेंशनरों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) में जिन पति/पत्नी के पक्ष में संयुक्त रूप से परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार मौजूद हैं उनके संयुक्त खाते में पेंशन की राशि जमा करने के संबंध में केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी द्वारा जारी अनुदेश रेलवे पेंशनरों के लिए भी लागू कर दिए गए हैं। पति/पत्नी के साथ रखा गया पेंशनर का

संयुक्त खाता ऊपर संदर्भित रेल मंत्रालय के 13 अक्टूबर 2005 के परिपत्र में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन या तो "पहला अथवा उत्तरजीवी" या "दोनों में से कोई भी अथवा उत्तरजीवी" आधार पर परिचालित किया जा सकता है।

13. अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान -पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच-2134/45.02.001/2006-07 दिनांक 4 अगस्त 2006)

रक्षा मंत्रालय एवं प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक ने उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है।

पेंशनर के साथ संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा।

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा। यदि पति /पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) जैसा कि पेंशन पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामले में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति /पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखें। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते /पेंशनर /पति /पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त ,खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

(सी) पेंशनर के पति /पत्नी के संयुक्त खाते पर पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पहले की तरह ही लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार एक "स्वीकृत नामांकन है तो इन नियमों में उल्लिखित बकाया शेष नामित को भुगतान किए जाएंगे। वर्तमान पेंशनर (जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी कर्मचारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

14. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल (भाग ए) सरकारी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.6926/45.05.005/2006-07 दिनांक 30 अक्टूबर 2006)

पश्चिम बंगाल सरकार ने उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है । पेंशनर के साथ संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा :

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा । यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा ।

(बी) जैसा कि पेंशन पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र किसी भी मामले में एक माह में उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए , ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखें । हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते पेंशनर /पति/पत्नी में एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी । संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि , दायी होंगे।

(सी) पेंशनर के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पहले

की तरह ही लागू होंगे । इसका अर्थ यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार एक "स्वीकृत नामांकन है तो इन नियमों में उल्लिखित बकाया शेष नामित को भुगतान किए जाएंगे ।

वर्तमान पेंशनर (जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होनेवाने सरकारी कर्मचारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे ।

15. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच-8973/45.05.003/2006-07 दिनांक 24 नवंबर, 2006)

पंजाब सरकार ने उन सरकारी पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की

सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है। पेंशनर के साथ संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा :

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा। यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) जैसा कि पेंशन, पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामले में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते /पेंशनर / पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

(सी) नियमानुसार, पेंशन के बकाया एरियर्स का भुगतान हेतु नामांकन का प्रावधान पंजाब वित्तीय नियमों के खंड 1 के नियम 5.3 बी के नोट 4 और समय-समय पर पेंशनर के अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त खातों के लिए जारी होनेवाले निर्देशों के अनुसार होगा। इसका यह अर्थ होगा कि यदि एक 'स्वीकृत नामांकन' इन नियमों के अंगतर्गत उपलब्ध है, तो बकाया राशियां नामित को भुगतान की जाएगी। वित्त विभाग, पंजाब के परिपत्र क्र.21(1)83-एफआर (6) 11991 दिनांक 20 नवंबर 1984 के द्वारा संशोधित नामांकन पत्रों में संशोधन किया गया है।

वर्तमान पेंशनर (जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी कर्मचारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10975/45.05.031/2006-07 दिनांक 9 जनवरी 2007)

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार से चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सरकार पेंशनर (सिविल) को पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिणाम में परिवर्तन होने पर पेंशन पर्ची जारी की जाएगी। सभी एजेंसी बैंक, उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को उचित निर्देश जारी करें।

17. रक्षा पेंशन भुगतान प्रतिपूर्ति हेतु एकल खिड़की प्रणाली का प्रारंभ

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच-13834/45.02.001/2006-07 दिनांक 13 मार्च, 2007)

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2007 से रक्षा पेंशन की प्रतिपूर्ति हेतु एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ होगी। अतः 1 अप्रैल 2007 से प्रतिपूर्ति करनेवाले बैंक यथा भारिबैं (लोलेवि), एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंक रक्षा पेंशन प्रतिपूर्ति का मार्च 1 अप्रैल 2007 से बंद कर देंगे। केंद्रीय सिविल पेंशन के

मामलें में, पेंशन भुगतान के सौदे संपर्क कक्ष, नागपुर के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग नागपुर को निधि निपटान हेतु सूचित किए जाएं। एजेंसी बैंक भुगतान क्रौल सीधे ही श्री बी.डी.तिवारी, एसएओ (पी), पीसीडीए (पी) कार्यालय, द्रौपदी घाट, इलाहाबाद को भेजे।

1 अप्रैल 2007 के पहले के बकाया पिछले सौदे, जिनके लिए पेंशन भुगतान क्रौल सूचना वांछित है आरबीआई/एसबीआई एवं सहयोगी बैंक की प्रतिपूर्ति करनेवाली शाखाओं द्वारा निपटाए जाएं।

18. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच-14279/45.05.024/2006-07 दिनांक 23 मार्च 2007)

अरुणाचल प्रदेश सरकार उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है। पेंशनर के साथ संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा :

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा।

यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण पेंशनर की जानकारी में न रहते हुए करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) जैसा कि पेंशन, पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामले में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते पेंशनर / पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

(सी) पेंशनर के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पहले की तरह ही लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार एक "स्वीकृत नामांकन" है तो इन नियमों में उल्लिखित बकाया शेष नामित को भुगतान किए जाएंगे। वर्तमान पेंशनर जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी कर्मचारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

(डी) पेंशन भुगतान पाने के लिए संयुक्त खाता, किसी अन्य व्यक्ति के नाम न होते हुए , केवल पति/पत्नी, जिनको कि पीपीओ में पेंशन पाने हेतु अधिकृत किया गया हैं, के साथ ही होना चाहिए यह संशोधित योजना परिवार पेंशनरों के लिए नहीं हैं ।

19. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - रक्षा पेंशनरो को पेंशन पर्ची जारी करना (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच.17663/45.05.031/2006-07 दिनांक 12 जून 2007)

प्रधान लेखा नियंत्रक कार्यालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय से चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार पेंशनर (सिविल) को लागू वर्तमान, प्रणाली के अनुसार ही सशस्त्र सेना /रक्षा सिविल पेंशनरों जिसमें की परिवार पेंशनर भी शामिल है, को पेंशन पर्ची जारी की जाएगी । सभी एजेंसी बैंक, उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को उचित निर्देश जारी करें ।

20. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - रेल्वे पेंशनरो को पेंशन पर्ची जारी करना (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.3856/45.05.031/2007-08 दिनांक 8 अक्टूबर 2007)

रेल मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय पेंशनर सिविल को लागू वर्तमान प्रणाली के अनुसार रेल्वे पेंशनरो /परिवार पेंशनरों को भी पेंशन पर्ची जारी की जाए । तदनुसार विहित प्रारूप में रेल्वे पेंशनर /परिवार पेंशनरों को पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन होने पर पेंशन पर्ची जारी की जाएगी । सभी एजेंसी बैंक, उनकी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उचित निर्देश जारी करें ।

21. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा असम सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.7570/45.05.018/2007-08 दिनांक 15 जनवरी 2008 एवं उसके साथ अनुबंध के रूप में असम सरकार का कार्यालय ज्ञापन क्र.PPG (P) 92/2006/18 दिनांक 12 दिसंबर 2007)

असम सरकार ने उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) के उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों को पति/पत्नी के साथ संयुक्त बचत /चालू खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है ।

पेंशन के साथ संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा ।

यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा ।

(बी) जैसा कि पेंशन, पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामले में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते/पेंशनर/पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

(सी) पेंशनर के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर असम पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1987 पहले की तरह ही लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार एक "स्वीकृत नामांकन" है तो इन नियमों में उल्लिखित बकाया शेष नामित को भुगतान किए जाएंगे।

वर्तमान पेंशन (जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे। असम सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रं. पीपीजी (पी) 92/2006/18 दिनांक 12 दिसंबर 2007 के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

22. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा पुदुचेरी सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना - योजना में संशोधन (संदर्भ - डीजीबीए.जीएडी.9036/45.05.017/2007-08 दिनांक 19 फरवरी 2008)

17-12-2007 से पुदुच्चेरी संघशासित प्रदेश हेतु अलग लोक खाते के प्रारंभ किए जाने से, पुदुच्चेरी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना को शासकीय गजट आदेश MS.No.7/2008/FI (B) दिनांक 8 जनवरी 2008 के द्वारा संशोधित किया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए पेंशनर में संघशासित क्षेत्र पुदुच्चेरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल होंगे। सभी एजेंसी बैंक संशोधित योजना के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

क्रम सं.	पैरा क्र.	में लिखा है -----	को पढ़े -----
1.	2 ए (3)	लिंग शाखा का अर्थ है, पुदुच्चेरी में कारोबार चला रही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखा, जोकि भुगतान करने वाली शाखा भी हो सकती है।	लिंग शाखा का अर्थ, चेन्नई में कारोबार चला रही, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा है।
2.	10.7	जहां कि भुगतान एवं लिंग शाखा एक ही है, को छोड़कर,	विहित प्रारूप - IV में

		<p>भुगतान करनेवाली शाखा विहित फार्म अनुबंध -IV में चार प्रतियों में स्करोलतैयार करेगी । पहले प्रकार के लिए केवल 3 प्रतियां तैयार की जाएगी । भुगतान शाखा</p> <p>भुगतान किए जाने का प्रमाण सूचना पर रिकार्ड करते हुए, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपनी लिंक शाखा को पेंशन भुगतान सूचना भेजेगा । स्करोलकी एक प्रति भुगतान करने वाली शाखा द्वारा अपने रिकार्ड के लिए रख ली जाएगी और बाकी प्रतियां प्रमाणपत्रों के साथ , जोकि पैरा 14 से 14.3 के अंतर्गत पेंशनर को प्रस्तुत करना होता है, को पेंशन भुगतान सूचना के साथ लिंक शाखा को भेजा जाएगा ।</p>	<p>स्करोल5 प्रतियों में भुगतान करने वाली शाखा द्वारा तैयार किया जाएगा । स्करोलकी 4 प्रतियाँ भुगतान करने वाले शाखा द्वारा उनके क्षेत्रों की मुख्य शाखाओं यथा, पुदुच्चेरी करईकल, माहे, यनम को सूचना पर भुगतान करने के प्रमाणपत्र को रिकार्ड कर प्रमाणपत्रों सहित, जोकि पेंशनर को पैरा 14 से 14.3 के अंतर्गत दैनिक आधार पर प्रस्तुत करना होता है, भेजी जाएगी ।</p>
3	11	<p>सभी भुगतान करने वाली शाखाओं से भुगतान सूचनाएं एवं स्करोल(3 प्रतियों में) आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने पर लिंक शाखा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक स्करोलकी दो प्रतियां एवं आवश्यक सहायक दस्तावेज, सारांशीकृत पत्रक और पेंशनभोगियों के वास्ते सरकार से प्राप्त राशि की स्टांप युक्त रसीद, भारतीय स्टेट बैंक, पुदुच्चेरी को भेजेगी। भुगतान करने वाली शाखा से प्राप्त स्करोलकी तीन प्रतियां एवं भुगतान सूचनाएं संबंधित लिंक शाखा अपने पास रखेगी ।</p>	<p>सभी भुगतान करने वाली शाखाओं से भुगतान सूचनाएं एवं स्करोल(4 प्रतियों में) आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संबंधित क्षेत्र की मुख्य शाखा दैनिक आधार पर स्करोलकी तीन प्रतियां एवं आवश्यक सहायक दस्तावेज,</p>

			<p>सारांशीकृत पत्रक और पेंशनभोगियों के वास्ते सरकार से प्राप्ति स्टांप युक्त रसीद के साथ राजकोष/उप राजकोष को भेजेगी । भुगतान करनेवाली शाखा से प्राप्त स्करोलकी चार प्रतियां एवं भुगतान सूचनाएं संबंधित मुख्य शाखा अपने पास रखेगी । मुख्य शाखाओं द्वारा भुगतान के विवरण दैनिक आधार पर चेन्नई स्थित संबद्ध लिंक शाखाओं को सूचित किए जाएंगे ।</p>
4	11.1	<p>सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की लिंक शाखा से स्करोलआदि प्राप्त होने पर भारतीय स्टेट बैंक पुदुच्चेरी स्करोलको, उसकी सभी प्रकार से पूर्णता एवं उसमें शामिल सभी भुगतानों के संबंध में संबद्ध दस्तावेजों की मौजूदगी के हिसाब से जांच करेगी ।</p> <p>इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा वितरित पेंशन भुगतान की शुद्ध राशि को पुदुच्चेरी सरकार के खाते में नामे कर, भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा । भारतीय स्टेट बैंक, पुदुच्चेरी नामे सूचना की एक प्रति लिंक ब्रांच से प्राप्त अन्य सहयोगी दस्तावेजों के साथ उपनिदेशक (लेखा एवं राजकोष) पेंशन अनुभाग पुदुच्चेरी को भेजेगा ।</p>	<p>मुख्य शाखा से स्करोलआदि संबंधित राजकोष कार्यालय /उप-राजकोष कार्यालय पुदुच्चेरी/ करईकल/माहे/ यनम को प्राप्त होने पर राजकोष अधिकारी/उप राजकोष अधिकारी स्करोलको, उसकी सभी दृष्टि से पूर्णता, उनमें शामिल सभी भुगतानों के संबंध में संबद्ध दस्तावेजों की मौजूदगी की जांच</p>

			<p>कर, स्करोलकी दो प्रति विधिवत रूप से उसकी सत्यता को प्रमाणित करते हुए, उसे संबंधित मुख्य शाखा को लौटाएगा । मुख्य शाखा माह की अंतिम तारीख को दिनवार मासिक भुगतान स्करोलकी 5 प्रतियां तैयार करेगी एवं इसे राजकोष /उप राजकोष कार्यालय को सत्यापन हेतु भेजेगी । विधिवत सत्यापित VDMS की दो प्रतियां राजकोष अधिकारी/ उप राजकोष अधिकारी, प्राप्ति के दो दिनों में मुख्य शाखा को वापस भेजेगा और मुख्य शाखा VDMS को प्राप्ति के दिन ही लिंक कार्यालय को फैक्स से भेजेगा । लिंक कार्यालय VDMS को समेकित कर इसे आने वाले महिने की 8 तारीख तक पीएडी को प्रतिपूर्ति के लिए भेजेगा ।</p>
--	--	--	---

23. अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ - डीजीबीए जीएडी क्र.11653/49.05.013/2007-08 दिनांक 6 मई 2008)

महाराष्ट्र सरकार ने उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के उनके पति /पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है ।

(ए) पेंशनर के साथ संयुक्त खाता " दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी " या " पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा ।

(बी) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/बैंक या दायित्व समाप्त समझा जाएगा । यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा ।

(सी) जैसा कि पेंशन, पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र , किसी भी मामले में एक माह में उसकी मृत्यु की सूचना लेखा अधिकारी/राजकोष अधिकारी/ बैंक को दी जानी चाहिए, पेंशनर की मृत्यु होने पर राजकोषीय कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर, बैंक पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर देगा ।

(डी) यदि पेंशनर के द्वारा संयुक्त खाते के धारकों के पक्ष में कोई नामांकन नहीं है, तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु होने पर बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के बकाया राशि का आहरण नहीं किया जा सकेगा । हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो वह संयुक्त खाते /पति/पत्नी/पेंशनर के एकल या संयुक्त रूप में परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी ।

(ई) पेंशनर की मृत्यु के बाद यदि किसी भौतिक जानकारी के अभाव में कोई पेंशन राशि संयुक्त खाते में जमा की जाती है और यदि वह राशि बैंक खाते में जमा है, तो यह सरकार को वापस लौटा दी जाएगी । वर्तमान पेंशनर जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, उन्हें वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुंबई/राजकोषीय अधिकारी जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि पेंशनभोगी/संयुक्त खाता धारक को सरकारी आदेश के द्वारा जारी शर्तें एवं निबंधन स्वीकार है तो इस आशय का घोषणा पत्र पेंशनर से प्राप्त होने पर संबंधित राजकोष/वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुंबई बैंक को पेंशनर का संयुक्त खाता परिचालित करने का आदेश जारी करेगा ।

24. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार के पेंशनरों पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नि/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ - डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच-12499/49.05.010/2007-08 दिनांक 4 जून 2008)

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नांकित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन एकल खाते के साथ-साथ केंद्रीय सरकार पेंशन योजना के समान संयुक्त खाते में भी पेंशन जमा करने माने की अनुमति प्रदान करने हेतु , पेंशन भुगतान करने की योजना में संशाधन किया है।

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा।

यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) पेंशनर की मृत्यु होने पर एक माह में उसकी मृत्यु की सूचना राजकोष कार्यालय को दी जानी चाहिए, ताकि राजकोष कार्यालय द्वारा पेंशनर की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर दी जाएगी। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह पेंशनर के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। इस प्रकार भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि भी दायी होंगे।

(सी) यह सुविधा वर्तमान/भविष्य के पेंशनरों के लिए उपलब्ध है।

वर्तमान पेंशनर, जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो,को उस बैंक/ राजकोष कार्यालय में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 19 जुलाई 2001 के सरकारी आदेश के साथ पठित सरकारी आदेश दिनांक 16 दिसंबर 1996 एवं 6 अप्रैल 1985 उपरोक्त सरकारी आदेश की सीमाओं में संशोधित माने जाएं। अन्य शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तनीय रहेंगे।

25. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तराखंड सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नि/अपने पति/नामित के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए. जीएडी.क्र. एच 12656/49.05.010/2007-08 दिनांक 5 जून , 2008)

उत्तराखंड सरकार ने उन पेंशनरों के संबंध में जिनके पीपीओ(पेंशन भुगतान आदेश) में उनमें पति / पत्नी/ नामित के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के उनके पति/पत्नि के साथ एकल खाते के साथ ही संयुक्त बैंक खाता में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया हैं।

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में राजकोष के द्वारा जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा । यदि परिवार पेंशनभोगी (पति/पत्नी) या पीपीओं में नामित व्यक्ति अनुचित रूप से संयुक्त खाते से राशि का आहरण करते हैं, तो पेंशनर/ संयुक्त खाता धारक इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(बी) जैसा कि पेंशन पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र उसकी मृत्यु की सूचना बैंक/ राजकोष को दी जानी चाहिए, ताकि राजकोष पेंशनर की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर दें । हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है तो यह संयुक्त खाता धारक (पेंशनर/पति/पत्नी नामित)से पेंशनर की मृत्यु के पश्चात वसूली योग्य होगी। पेंशनर की मृत्यु के बाद संयुक्त खात में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हंतू वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं नामित आदि, दायी होंगे ।

(सी) उपरोक्त शासकीय आदेश की सीमाओं में रहते हुए दि. 08/11/1985 का शासकीय आदेश संशोधित माना जाएगा एवं अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जोकि संयुक्त खाता खोलने के इच्छुक हैं, विहित फार्म- 1 (संलग्न) में पेंशन आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे । हालांकि मौजूदा पेंशनर जोकि राजकोष से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, राजकोष/बैंक में विहित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर संयुक्त खाता खोल सकते हैं।

26. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकारी पेंशन का भुगतान -

पेंशन पर्ची जारी करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 12704/45.05.005/2007-08 दिनांक 11 जून 2008)

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार पेंशनर (सिविल) पर लागू व्यवस्था के समान ही राज्य सरकार पेंशनरों को पेंशन पर्ची जारी की जाएगी। तदुसार सभी एजेंसी बैंक, उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को निर्देश जारी करें कि पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन के समय पेंशनरों को पेंशन पर्ची जारी करें।

27. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उड़ीसा सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र. एच 13024/45.05.006/2007-08 दिनांक 24 जून 2008)

उड़ीसा सरकार ने पेंशनरों के उनके पति/पत्नी के साथ संयुक्त बचत/चालू खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन, पेंशन भुगतान योजना में किया हैं।

पेंशनर के साथ संयुक्त खाता " दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी " या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी " आधार पर निम्नांकित शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा:

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/ बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएगा ।

यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते हैं, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) जैसा कि पेंशन पेंशनर के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनर की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामले में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनर की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखें। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते/ पेंशनर / पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

पेंशनर को यह घोषणा पत्र देना होगा कि यदि पेंशनर के खातों/ संयुक्त खातों में कोई अधिक राशि जमा कर दी जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती, निष्पादक आदि उसकी धन वापसी के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(सी) पेंशनर के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर पेंशन के बकाया का भुगतान पहले की तरह ही चालू रहेंगे। बशर्ते कि उड़ीसा राजकोष संहिता खंड - 1 के एस.आर. 318 के साथ संलग्न नोट-ए के अनुसार एक स्वीकृत नामांकन उपलब्ध है । वर्तमान पेंशनर जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । कार्यालय ज्ञापन क्र. 26848 दिनांक मई 24, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों एवं निबंधनों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरूप पेंशनर के पति/पत्नी को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगे । कार्यालय ज्ञापन क्र.टीआरडी-22/07 26848/एफ दिनांक मई 24, 2008 के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों पर भी ये निर्देश लागू होंगे ।

28. गोवा सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान -पेंशन पर्ची जारी करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 924/45.05.012/2008-09 दिनांक 23 जुलाई 2008)

केन्द्रीय सिविल पेंशनरों को लागू वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनरों को भी पेंशन पर्ची जारी करने का मुद्दा राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में उठाया गया । गोवा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार पेंशनरों पर लागू व्यवस्था के समान ही पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन होने पर राज्य सरकार पेंशनरों को विहित प्रारूप में पेंशन पर्ची जारी की जाएगी। तदनुसार सभी एजेंसी बैंक उनकी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को निर्देश जारी करें कि पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन के समय पेंशनरों को पेंशन पर्ची जारी करें।

29. प्राधिकृत बैंकों द्वारा दूरसंचार पेंशनरों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1917/45.04.001/2008-09 दिनांक 21 अगस्त 2008)

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि डीओटी/एक्स डीओटी/, डीटीएस एवं डीटीओ पेंशनर (बीएसएनएल में समाहित किए गए) जोकि प्राधिकृत बैंकों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा की जाए । पेंशनर के साथ पति/पत्नी का संयुक्त खाता "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" आधार पर दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा। तदनुसार सभी एजेंसी बैंक को उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है ।

30. प्राधिकृत बैंकों द्वारा आंध्रप्रदेश सरकारी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1918/45.05.016/2008-09 दिनांक 21 अगस्त 2008)

आंध्रप्रदेश सरकार ने पेंशनरों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा की अनुमति इस शर्त पर दी है कि आंध्रप्रदेश सरकार के आदेश में दिए अनुसार सेवा पेंशनर के पति /पत्नी द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । तदनुसार सभी एजेंसी बैंक को उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है ।

31. ग्राहक सेवा पर प्रभाकर राव समिति की सिफारिशें – पेंशन भुगतान :

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3085/45.01.001/2008-09 दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

प्रभाकर राव समिति की पेंशन भुगतान से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है एवं तदनुसार सभी एजेंसी बैंक को उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को इन सिफारिशों के अनुपालन करने का निर्देश जारी करने के लिए एवं साथ ही जांच बिंदुओं की सूची(संलग्न) के अनुसार शाखाओं के कार्य की तत्संबंधी मदों की जांच के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों /निरीक्षकों को निर्देश देने एवं उनकी रिपोर्ट में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर टिप्पणियों जोकि रिजर्व बैंक के निरीक्षक अधिकारियों को शाखा के दौरे के समय उपलब्ध कराई जाएं, के लिए सूचित किया गया है ।

32. 6 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का अनुपालन – 2006 के पहले के पेंशनर/ परिवार पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3699/45.01.001/2008-09-09 दिनांक 17 अक्टूबर 2008)

कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 1 सितंबर 2008 के पत्र सं 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू(ए) के द्वारा जनवरी 2006 से 2006 के पहले के पेंशनर/ परिवार पेंशनरों की पेंशन के नियमितीकरण की स्वीकृति दी है ।ये आदेश 1 जनवरी 2006 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अंतर्गत

पेंशन / परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर/ परिवार पेंशनरों पर लागू होंगे।सीसीएस(असाधारण पेंशन) नियम एवं तत्सम नियम रेल्वे एवं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों एवं दिनांक 1 जनवरी 1973 को / के बाद सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू है।

ये आदेश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं अन्य संवैधानिक / सांविधिक प्राधिकारियों, जिनकी पेंशन किसी अलग नियम/आदेश से शासित होती है, पर लागू नहीं होंगे।

तदनुसार सभी एजेंसी बैंकों को पेंशनरों को पेंशन भुगतान करते समय सरकार की इन सिफारिशों के अनुपालन करने का निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है।

33. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार /सिविल / रक्षा/ रेल्वे/ दूरसंचार / स्वतंत्रता सेनानी / राज्य सरकार पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान में आनाकानी।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 7652/45.05.031/2008-09 दिनांक 03 मार्च 2009)

हमें पेंशनरों की माह के अंतिम चार कार्यदिवसों पर पेंशन भुगतान न करने की बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। एजेंसी बैंकों द्वारा अंतिम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान किया जा रहा है जिससे उन्हें लंबी कतारों में खड़ा रह कर परेशानी उठानी पड़ती है।

इस संबंध में, हमने अपने दिनांक 01 जून 1995 के परिपत्र क्र. जीए.एनबी नं 307/45.01.001/ 94-95 में सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि मार्च को छोड़कर, जिसके लिए अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान किया जाता है, बाकी सभी महिनों में अंतिम चार कार्यदिवसों पर पेंशन भुगतान किया जाना है।

34. एजेंसी बैंकों की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 9326/44.01.001/2008-09 दिनांक 29 अप्रैल 2009)

हालांकि एजेंसी बैंकों को पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए थे किंतु पेंशनर एसोशिएशंस से पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं के द्वारा पेंशन पर्ची जारी न करने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने यह शिकायत भी की है कि जब भी सरकार के विभिन्न विभाग पेंशन की मूल दर में बदलाव करती है, पेंशन भुगतान करने वाली शाखाएं पीपीओ के दोनों हिस्सों को अद्यतन नहीं करती हैं। तदनुसार हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पीएडी के निरीक्षणकर्ता अधिकारी एजेंसी बैंकों का निरीक्षण करते समय पेंशन पर्ची एवं पीपीओ के अद्यतन होने की जांच करें और इस बारे में विशेष टिप्पणी भी करें।

35. **पेंशन के अधिक भुगतान की राशि सरकारी खातों में वापस जमा करना ।**

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10450 /45.03.001/2008-09 दिनांक 01 जून 2009)

भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि बैंकों द्वारा किए गए पेंशन के अधिक भुगतान बैंकों द्वारा सरकारी खाते में एकमुश्त जमा नहीं किए जाते एवं किश्तों में पेंशनरों से वसूल किए जाने के बाद जमा किए जाते हैं । चूंकि इससे सरकार को हानि होती है , अतः सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई अधिक भुगतान का पता चले , पूरी राशि तत्काल ही एकमुश्त सरकारी खाते में जमा कर दी जाए ।

36. **केरल सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान -पेंशन पर्ची जारी करना**

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2090/45.05.015/2009-10 दिनांक 1 सितंबर 2009)

केन्द्रीय सिविल पेंशनरों को लागू वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनरों को भी पेंशन पर्ची जारी करने का मुद्दा राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में उठाया गया । केरल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार पेंशनरों पर लागू व्यवस्था के समान ही पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन होने पर राज्य सरकार पेंशनरों को विहित प्रारूप में पेंशन पर्ची जारी की जाएगी। तदनुसार सभी एजेंसी बैंक उनकी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को निर्देश जारी करें कि पेंशन प्रारंभ होते समय और इसके बाद पेंशन के परिमाण में परिवर्तन के समय पेंशनरों को पेंशन पर्ची जारी करें।

37. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेल्वे पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना – इयू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी करना ।**

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2084/45.03.001/2009-10 दिनांक 01 सितंबर 2009)

रेल मंत्रालय(रेल्वे बोर्ड), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि बैंक संशोधित पेंशन के विवरण पेंशनरों को सूचित नहीं कर रहे हैं । पेंशन एरियर्स के भुगतान के कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए रेल मंत्रालय ने हमसे अनुरोध किया है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रेल्वे पेंशनरों को इयू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दें । तदनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को निर्देश जारी करें कि जब भी पेंशन में बदलाव/संशोधन हो , रेल्वे पेंशनरों को विधिवत प्रारूप में इयू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी किया जाए । उन्हें इस मामले में कृत कार्वाई रिजर्व बैंक को सूचित करते हुए रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है ।

38. पेंशनरों को किए गए अधिक/गलत भुगतान की वसूली ।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच -2434/45.03.031/2009-10 दिनांक 15 सितंबर 2009)

सरकार/ विभागों से इस आशय की शिकायतें मिलने पर के बैंक पेंशन के अधिक भुगतान की राशि की एकमुश्त प्रतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं , हमने अपने दिनांक 18 अप्रैल 1991 एवं 01 जून 2009 के परिपत्रों द्वारा अधिक भुगतान की वसूली एवं उनके एकमुश्त प्रतिपूर्ति के निर्देशों को दोहराया है ।

39. सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा केन्द्रीय सिविल/रक्षा/रेल्वे/दूर संचार/ स्वतंत्रता सेनानियों/राज्य सरकारों के पेंशनरों की पेंशन के भुगतान की योजना - वृद्ध / रुग्ण/ विकलांग पेंशनरों द्वारा पेंशन आहरण की सुविधा ।

(संदर्भ सबैलेवि.जीएडी.एच- 3194/45.01.001/2009-10 14 अक्टूबर 2009)

यह पाया गया कि आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का बैंक कर्मचारियों एवं पेंशनरों की अनभिज्ञता के कारण ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है ।रुग्ण एवं विकलांग पेंशनरों को बैंक से पेंशन/ परिवार पेंशन के आहरण में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को पहले जारी निर्देशों को दोहराया है और उन्हें रुग्ण और विकलांग पेंशनरों के प्रकरणों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत करने को सूचित किया है :

1. ऐसा पेंशनर जो इतना अधिक रुग्ण है कि उसके लिए चेक पर हस्ताक्षर करना मुश्किल है और अपने बैंक खाते में से धन निकालने के लिए बैंक में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है ।
2. ऐसा पेंशनर जो न केवल बैंक में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि किसी शारीरिक दोष/असमर्थता के कारण वह चेक /आहरण फार्म पर अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है ।

ऐसे वृद्ध/बिमार/बिकलांग पेंशनरों को अपने खाते को सुविधा से परिचालित करने में समर्थ बनाने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें ।

(क) जहां कहीं अंगूठे या पैर की अंगूली का निशान लिया जाता है उसकी पहचान ऐसे गैर-संबंधित साक्षियों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हें बैंक जानता हो और इनमें से एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए ।

(ख) जहां पेंशनर अपने अंगूठे/ पैर की अंगूली का निशान भी न लगा सकता है तथा बैंक में स्वयं उपस्थित होने में भी असमर्थ है, वहां चेक/आहरण फार्म पर एक चिह्न लगाकर लिया जा सकता है जिसकी पहचान दो गैर-संबंधित साक्षियों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए ।

तदनुसार एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि अपनी शाखाओं को सूचित करें कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को नोटिस बोर्ड पर मुखयता से दर्शाए, ताकि बीमार एवं विकलांग पेंशनर इन सुविधाओं पूरा फायदा उठा सके । बैंकों से अनुरोध है कि अपने स्टाफ सदस्यों को इस संबंध में जागरूक बनाए और संदेह की स्थिति में हमारी वेबसाईट (www.rbi.org.in) पर पेंशन वितरण पर एफ एक्चू देखें।

40. एजेंसी बैंकों के माध्यम से केन्द्र/ राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान - विलंब।

(संदर्भ .अशा .ग्रासेवि .केका 8793/13.01.001/2009-10 दिनांक 09 अप्रैल 2010)

भारतीय रिजर्व बैंक को संशोधित पेंशन और बकाया राशि वितरण में असाधारण देरी आरोप लगाते हुए पेंशनरों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और हमारे ग्राहक सेवा विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई है निम्नानुसार एजेंसी के बैंकों को निर्देश जारी किए:

□) पेंशन भुगतानकर्ता बैंक बैंक दर + 2% की दर पर पेंशन भुगतान की नियत तारीख के बाद देरी के लिए दंडात्मक ब्याज का भुगतान पेंशनर से किसी भी दावे के लिए प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही करना चाहिए. यह 1 अक्टूबर 2008 के बाद किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के लिए लागू है।

□□) पेंशन भुगतान सहित ग्राहक सेवा करने के लिए उपलब्ध प्रणाली की समीक्षा की जाएं।

□□□) शाखा पेंशनर के लिए संपर्क बिंदु बनी रहेगी अन्यथा वे असहाय महसूस करेंगे ।

□□) सभी पेंशन खातों वाली शाखाएं बैंक के साथ अपने सभी व्यवहारों के लिए पेंशनरों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें ।

□) वेबसाईट पर पेंशन गणना एवं गणितीय गणना के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और इस संबंध में आवश्यक और पर्याप्त विज्ञापन किया जाए ।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	संदर्भ.डीजीबीए.जीएडी.सं.एच. 416/45. 01.003/ 2002-03	21 मार्च 2003	राज्य सरकार के पेंशनरों को दी जानेवाली मंहगाई राहत इत्यादि संबंधी सरकारी आदेशों को राज्य

	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. सं. 770/ 45.01.003/ 2003-04	25 फरवरी 2004	सरकारों की वेब साइटों पर डालना पेंशन संबंधी परिपत्रों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डालना।
2.	डीजीबीए.जीएडी.सं. एच.506/ 45.01.001/ 2002-03	12 अप्रैल 2003	केंद्र सरकार के पेंशनरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनरों को महंगाई-राहत के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय - महंगाई राहत इत्यादि के संबंध में सरकारी आदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भेजना बंद करना।
3.	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच. 94/45.05.031/ 2004-05	24 अगस्त 2004	फॉर्म "ए" और "बी" में नामांकन स्वीकार करना - केंद्रीय सिविल पेंशन
4	संदर्भ डीजीबीए. जीएडी.सं. 612- 644/45.01.001/2004-05	07 अक्टूबर 2004	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा- अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए कार्यविधि का कार्यान्वयन।
5	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. 867- 899/45.02.001/ 2004-05	18 अक्टूबर 2004	रक्षा पेंशनरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की योजना - पेंशन भुगतान स्क्रोल प्रस्तुत करने में देरी और जाली तथा कपटपूर्ण भुगतान टालने के उपाय।
6	सं.आर बी आई /2005/334 (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.3389- 3421/ 45.02. 001/2004-05)	06 जनवरी 2005	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना - कपटपूर्ण भुगतान टालने हेतु उपाय।
7	संदर्भ : डीजीबीए.जीएडी. सं. एच.3452-3485/ 45.01.001/ 2004-05	11 जनवरी 2005	केंद्रीय सिविल पेंशन का भुगतान - पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) के दोनों अर्धशों में महंगाई राहत की प्रविष्टि।
8	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी. क्र. एच- 6073/ 45.05.031/ 2004-05	30 मई 2005	एजेंसी बैंकों द्वारा रेलवे पेंशन का भुगतान
9	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच. 3611/ 45.03.002/ 2005-06	10 अक्टूबर 2005	पेंशन की बकाया रशि के भुगतान के लिए रेलवे पेंशनरों के संबंध में नामांकन (फार्म "ए" और "बी") स्वीकार करना
10	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी. क्र. एच- 10746/ 45.03.001/ 2005-06	24 जनवरी 2006	रेलवे के पेंशनरों को सार्वजनिक क्षेत्र के/ अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान की योजना - रेल मंत्रालय द्वारा सात नए अंचलों के वि.सं. एवं मु.ले.अ. का नामांकन
11	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. सं.एच. 11303/ 45.01. 003/2005-06	06 फरवरी 2006	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का वितरण - महंगाई राहत का भुगतान
12	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी. क्र. एच- 12736/ 45.03.001/ 2005-06	24. फरवरी 2006	अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।

13	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी. क्र.एच-2134/ 45.02.001/ 2006-07	4 अगस्त 2006	अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान -पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
14	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. 6926/45.05.005/2006-07	30 अक्टूबर 2006	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल (भाग ए) सरकारी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान -पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
15	संदर्भ डीजीबीए. जीएडी.एच-8973/ 45.05.003/2006-07	24 नवंबर, 2006	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना
16	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10975/45.05.031/2006-07	9 जनवरी 2007	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना
17.	संदर्भ : डीजीबीए.जीएडी. क्र. एच-13834/ 45.02.001/ 2006-07	13 मार्च, 2007	रक्षा पेंशन भुगतान प्रतिपूर्ति हेतु एकल खिड़की प्रणाली का प्रारंभ
18.	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच-14279/45.05.024/2006-07	23 मार्च 2007	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना
19	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच. 17663/45.05.031/2006-07	12 जून 2007	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - रक्षा पेंशनरो को पेंशन पर्ची जारी करना
20	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. क्र.3856/45.05.031/2007-08	8 अक्टूबर 2007	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - रेल्वे पेंशनरों को पेंशन पर्ची जारी करना
21	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. क्र.7570/45.05.018/2007-08	15 जनवरी 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा असम सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
22	संदर्भ - डीजीबीए.जीएडी. 9036/45.05.017/2007-08	19 फरवरी 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंको द्वारा पुदुच्चेरी सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना - योजना में संशोधन
23	संदर्भ डीजीबीए जीएडी क्र. 11653/45.05.013/2007-08	6 मई 2008	अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
24	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. क्र.एच-12499/ 45.05.010/ 2007-08	4 जून 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार के पेंशनरों पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नि/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
25	संदर्भ डीजीबीए. जीएडी.क्र. एच	5 जून , 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तराखंड सरकार के

	12656/ 45.05.010/ 2007-08		पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति/नामित के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
26	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 12704/ 45.05.005/2007-08	11 जून 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकारी पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना
27	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र. एच 13024/ 45.05.006/ 2007-08	24 जून 2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उड़ीसा सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/ अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
28	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 924/45.05.012/2008-09	23 जुलाई 2008	गोवा सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना
29	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1917/45.04.001/2008-09	21 अगस्त 2008	प्राधिकृत बैंकों द्वारा दूरसंचार पेंशनरों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
30	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1918/ 45.05.016/2008-09	21 अगस्त 2008	प्राधिकृत बैंकों द्वारा आंध्रप्रदेश सरकारी पेंशनरों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनर द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना ।
31	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3085/45.01.001/2008-09	01 अक्टूबर 2008	ग्राहक सेवा पर प्रभाकर राव समिति की सिफारिशों- पेंशन भुगतान
32	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3699/45.01.001/2008-09	17 अक्टूबर 2008	6 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का अनुपालन - 2006 के पहले के पेंशनर/ परिवार पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन ।
33	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 7652/ 45.05.031/2008-09	03 मार्च 2009	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार /सिविल / रक्षा/ रेल्वे/ दूरसंचार / स्वतंत्रता सेनानी / राज्य सरकार पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान में आनाकानी ।

34	संदर्भ.डीजीबीए.जीएडी.एच 9326/44.01.001/2008-09	29 अप्रैल 2009	एजेंसी बैंकों की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करना ।
35	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10450 /45.03.001/2008-09	01 जून 2009	पेंशन के अधिक भुगतान की सरकारी खातों में वापस जमा करना ।
36	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2090/45.05.015/2009-10 दिनांक	1 सितंबर 2009	केरल सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना
37	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2084/45.03.001/2009-10	01 सितंबर 2009	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेल्वे पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना - इयू एंड इन स्टेटमेंट जारी करना ।
38	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2434/45.03.031/2009-10	15 सितंबर 2009	पेंशनरों को किए गए अधिक/गलत भुगतान की वसूली ।
39	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3194/45.01.001/2009-10	14 अक्टूबर 2009	सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा केन्द्रीय सिविल/रक्षा/रेल्वे/दूर संचार/स्वतंत्रता सेनानियों/ राज्य सरकारों के पेंशनरों की पेंशन के भुगतान की योजना - वृद्ध / रुग्ण/ विकलांग पेंशनरों द्वारा पेंशन आहरण की सुविधा
40	संदर्भ .अशा .ग्रासेवि .केका 8793/13.01.001/2009-10	09 अप्रैल 2010	एजेंसी बैंकों के माध्यम से केन्द्र/ राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन भुगतान - विलंब।